न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—262/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00235)

1. राकेश देवी पत्नी बाणवचन्द, जाति मेघवाल,
2. खलील पुत्र सफी, जाति मुसलमान,
3. ज्वलाराम पुत्र माडूराम, जाति सैनी, निवासीगण इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र भीखाराम, जाति मेघवाल, निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. राज़स्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील व जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा मानकर के नियमन हेतु पत्रावली को नियमन कमेटी के पास से नियमन करवाने का एक तरह से आदेश पारित कर दिया जिस तरफ अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने कोई गौर ना कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2011 पारित किया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अतिक्रमण और नियमन दों अलग—अलग प्रकार की कार्यवाही है तथा अभी तक रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उक्त भूमि विवादग्रस्त का नियमन नही हुआ है जिससे वर्तमान में समय में अपीलान्ट भूमि विवादग्रस्त पर अतिक्रमी ही है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा बेदखली के आदेश दिनांक 04.04.2011 विधि सम्मत पारित किये गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर कये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया है कि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसके नियमन की कार्यवाही कानूनन नही की जा सकती फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित करने में गंभीर कानूनी गलती की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जमीन जैर बहस के पहले खसरा नम्बर 424/636 थे जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 640 व 642 बने है, गत खसरा नम्बर 424/636 व वर्तमान खसरा नम्बर 640 व खसरा नम्बर 642 वाके ग्राम इस्लामपुर में से एक रास्ता जाता है, ग्राम इस्लामपुर से मरोत जाता है व इस रास्ते पर अपीलान्ट व अन्य ग्रामवासीयान की काश्त की जमीन भी है तथा अन्य ग्रामीण काश्तकार उक्त रास्ता से होकर ही अपनी भूमि पर काश्त करने आते-जाते है जिससे अपीलार्थीगण व अन्य काश्तकार अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है इस कारण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश गई है साथ अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी अपील के साथ अलग से पेश गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा इस भूमि पर जब-जब भी कब्जे की कोशिश की तो ग्रामवासीयान ने व ग्राम पंचायत इस्लामपुर व पूर्व सरपंचों द्वारा इस जमीन के अतिक्रमण के सम्बन्ध में बार-बार शिकायतें की जाती रही है व अपीलान्ट ने भी बार-बार ग्रामवासीयों के साथ शिकायते की है, अपीलान्ट की शिकायत पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बार-बार भूमि विवादग्रस्त से बेदखल भी किया जाता रहा है जिसके सम्बन्ध में बेदखली कार्यवाही की रिपोर्ट भी मिसल के साथ है इसलिये अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही रही है तथा अपीलान्ट दिनांक 29.09.2011 को उक्त भूमि विवादग्रस्त पर अपने पशु में चारा रहा था तो उस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को कहा कि काफी दिन हो गये हो गये है भूमि पर पशु चरा लिये है और रास्ते का भी उपयोग कर लिया है परन्तु अब मैने इस जमीन के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया है इसलिये अब इस भूमि पर पशु चराई नही करने दूँगा व रास्ते का भी उपयोग नही करने दूँगा तब अपीलान्ट ने इस बाबत बात की व झुन्झुनू आकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी की व अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2011 को पेश किया जिसकी नकल दिनांक 30.09.2011 को मिली तत्पश्चात् पुराना रिकार्ड इकठ्ठा कर जानकारी की दिनांक से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है इसलिये अपील पेश करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद भी स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 को निरस्त फरमाया जावें

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा प्रकरण में अपीलार्थी प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जिससे जाहिर होता है कि न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 22.06.2008 में अपीलान्ट का पुराना कब्जा मानते हुए विवादित भूमि का नियमन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) झुन्झुनू को भेजा गया है किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अभी तक आवंटन सलाहकार समिति का निर्णय नही हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 22.06.2008 के विरोधाभाषी निर्णय दिनांक 04.04.2011 पारित किया गया है जो विधिनुकूल नही होने से निरस्तनीय ही था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/1/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।